राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3539 / 2022

डा. रितु अग्रवाल

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रभारी, ईएसआई डिस्पेंसरी, नं.11, प्रताप नगर, जयपुर।
5. मलखान सिंह, वर्तमान पदस्थापन ईएसआई डिस्पेंसरी नं.11, प्रताप नगर, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.09.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खॉन, अधिवक्ता
निजी प्रत्यर्थी क्रम 5 की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता (केवियेटर)

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ई.एस.आई. डिस्पेंसरी नं. 11 प्रतापनगर जयपुर से सीएचसी निवाई टोंक में किया गया है, जिसे चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा यह संशोधित अपील प्रस्तुत की गयी है।
3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क रहा है कि आलोच्य आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये हुए पारित किया गया है, क्योंकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का पदनाम चिकित्सा अधिकारी अंकित किया गया है, जबकि अपीलार्थी वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) के पद पर कार्यरत है।

4. उनका तर्क है कि बाद में संशोधित आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2022 में संशोधन किया गया है, जिसमें अपीलार्थी का पदनाम चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) संशोधित कर, पढे जाने का अंकन किया गया है, परन्तु पूर्व का आदेश बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पारित किया गया है और अपीलार्थी को चिकित्सा अधिकारी मानते हुए स्थानान्तरित किया गया है, ऐसे में पूर्व का आदेश वैध नहीं है एवं संशोधित आदेश पारित किये जाने से पूर्व आलोच्य आदेश पारित करने में जो गलती रही है, उसे सुधारा नहीं जा सकता।
5. उनका तर्क है कि निजी प्रत्यर्थी क्रम 5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण 120 किमी. दूर किया गया है, क्योंकि निजी प्रत्यर्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी के पति मधुमेह रोग से पीडित है, जिनकी देखभाल करने के लिये अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई नहीं है। अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील ग्राह्य कर आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2022 एवं 02.09.2022 की क्रियान्विति को स्थगित किया जावे।
6. निजी प्रत्यर्थी क्रम 5 की ओर से विद्वान् अधिवक्ता (कैवियटर) ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उत्तरदाता ने आलोच्य आदेश दिनांक 13.07.2022 की पालना में दिनांक 23.07.2022 को कार्य ग्रहण कर लिया है, ऐसे में आलोच्य आदेश की पालना पूर्ण हो चुकी है। अतः अपील खारिज की जावे।
7. हमने विद्वान् अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।
8. अपीलार्थी के सम्बन्ध में जो स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.07.2022 को पारित किया गया है, उसमें अपीलार्थी का पदनाम चिकित्सा अधिकारी अंकित किया गया, परन्तु बाद में उक्त आदेश में संशोधन कर संशोधित आदेश दिनांक 02.09.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का पद नाम चिकित्सा अधिकारी के स्थान पर वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी) अंकित कर दिया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 13.07.2022 में पदनाम अंकित करने में त्रुटि अवश्य रही है, परन्तु उसे बाद में सुधार दिया गया है। ऐसे

में यह नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का पद नाम गलत अंकित किया गया है।

9. अभिलेख से यह प्रकट नहीं हुआ है कि निजी प्रत्यर्थी को किस प्रकार समंजित किया गया है, इस कारण यह भी नहीं माना जा सकता कि निजी प्रत्यर्थी को समंजित करने की दृष्टि से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है, वरन् अपीलार्थी का पदस्थापन ईएसआई डिस्पेंसरी नं. 11 प्रताप नगर, जयपुर में 2019 से पदस्थापित है, ऐसे में समुचित समय के पश्चात प्रशासनिक आवश्यकता में अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया जाना प्रकट है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी आलोच्य स्थानान्तरण आदेशों को निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि स्थानान्तरण आदेश जनहित एवं प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत पारित किया गया है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है, जिसे ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)